केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/11/24	प.क. उभय बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली बहस निर्णय हेतु दिनांक 30/12/24 को पेश हो [illegible]
	30/12/24	वकीलों द्वारा आज/[illegible]/कार्य स्थगित [illegible] जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश हो। [illegible]
	27/1/25	प.का. पेश। अधिवक्ता अप्रार्थीगण के साक्ष्य/बहस नहीं करने हेतु निवेदन किया गया। सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया/साक्ष्य प्रार्थी की एवं साक्ष्य/बहस का अवसर बन्द किया जाता है। सीधे ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया/वाद [illegible] का [illegible] स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नियम मुताबिक होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–130/108/2011

उनवान

1. नन्दलाल उर्फ नन्दाराम पुत्र स्व0 प्रिरागमल उर्फ प्रागा जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)
   1/1. शंकरलाल पुत्र स्व0 नन्दाराम
   1/2. रुडी देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/3. प्रभाती देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/4. कमली देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/5. सुरजी देवी स्व0 नन्दाराम
   1/6. धापा उर्फ धापू देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी देवी का थान ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 भूराराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 भूराराम (दौराने दावा फौत)
   2/1. सूरज देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
   2/2. सुनिता पुत्री स्व0 बाबूलाल
   2/3. शिवराम पुत्र स्व0 बाबूलाल
   2/4. श्रीराम पुत्र स्व0 बाबूलाल
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नवोडी की ढाणी, तन ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. भैरु पुत्र स्व0 नारायण
4. मंगल पुत्र स्व0 नारायण
5. लक्ष्मण पुत्र स्व0 नारायण
6. हनुमान पुत्र स्व0 नारायण
7. भगवान सहाय पुत्र स्व0 नारायण
8. गुल्लाराम पुत्र स्व0 नारायण
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नवोडी की ढाणी, तन ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :–27.01.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6132 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 6227 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

6283 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 6284 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 6310 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 6311 रकबा 1.06 है0, खसरा नम्बर 6318 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 6317/9137 रकबा 0.04 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 3.95 है0 भूमि वाके ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है, जिसके हिस्से सम्पूर्ण भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज हैं, जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, उक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 6310 रकबा 0.09 है0 भूमि प्रतिवादीगण की भूमियों के लगवा स्थित है, उक्त खसरा नम्बर 6310 रकबा 0.09 है0 भूमि को ही इस वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी की खातेदारी भूमि है, जिस पर वादी काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी ने भूमि के चारों ओर सींव डोल बना कर सीमाएं महदूद कर रखी है और वर्तमान में रबी की फसल काश्त के लियें भूमि तैयार की जा रही है। भूमि विवादग्रस्त की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की खातेदारी भूमि लगवा है, जिनके मन में बेईमानी आ जाने के कारण ऐन केन प्रकारेण प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 के सहयोग से भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल तोड कर जबरन प्रवेश कर कब्जा कर लेना चाहते है, इसी आशय से वह वादी की भूमि विवादग्रस्त सींव डोल को तोड कर जबरन प्रवेश कर, नींव खोद कर निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है और आये दिन भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल तोड कर फसल को नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। इसी उद्‌देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 को साथ लेकर दिनांक 10.10.2009 को भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल तोड कर जबरन प्रवेश कर कब्जा करने लगे। इस पर वादी ने मना किया कि उक्त भमि वादी के हक हिस्से व अधिकार की भूमि है, जिसकी सींव डोल तोडफोड कर जबरन प्रवेश नहीं करें, ना ही कब्जा करें। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हारा उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है, मै इस भूमि पर पुख्ता निर्माण कर, कब्जा करके रहूंगा एवं तुम्हे यहां से बेदखल करुंगा, तुम्हे करना है, से करो। इस कारण वादी को उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोडफोड नहीं करें, ना ही अनाधिकृत रुप से प्रवेश करें, ना ही खाम या पुख्ता निर्माण कर कब्जा करें, ना ही वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादी के कब्जे में दखल कारित करें, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कार्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश का निवेदन किया गया कि वाके

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर (प्रशिक्षण)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 6310 रकबा 0.09 है0 पर मिन प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त है एवं पूर्व में भी उक्त आराजीयात पर मिन प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त रहे थे, एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी उनका ही नाम दर्ज था, किन्तु गत सेटलमेन्ट के समय कारकुनानों की गलती से उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज हो गया, जिस बात का फायदा उठाते हुये वादी उक्त आराजीयात को मिन प्रतिवादीगण से हडपना चाहते है, जबकि मौके पर उक्त आराजीयात से वादी का कोई लेना–देना, हक व सम्बन्ध नहीं रहा है, ना ही पूर्व में था। वादी का वाद वैसे भी बिना कब्जे के आधार पर चलने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त आराजीयात 6310 पर वादी का कब्जा ना होकर मिन प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है।

पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 6310 रकबा 0.09 है0 ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–130/108/2011

उनवान

1. नन्दलाल उर्फ नन्दाराम पुत्र स्व0 प्रिरागमल उर्फ प्रागा जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)
   1/1. शंकरलाल पुत्र स्व0 नन्दाराम
   1/2. रुडी देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/3. प्रभाती देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/4. कमली देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/5. सुरजी देवी स्व0 नन्दाराम
   1/6. धापा उर्फ धापू देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी देवी का थान ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 भूराराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 भूराराम (दौराने दावा फौत)
   2/1. सूरज देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
   2/2. सुनिता पुत्री स्व0 बाबूलाल
   2/3. शिवराम पुत्र स्व0 बाबूलाल
   2/4. श्रीराम पुत्र स्व0 बाबूलाल
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नवोडी की ढाणी, तन ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. भैरु पुत्र स्व0 नारायण
4. मंगल पुत्र स्व0 नारायण
5. लक्ष्मण पुत्र स्व0 नारायण
6. हनुमान पुत्र स्व0 नारायण
7. भगवान सहाय पुत्र स्व0 नारायण
8. गुल्लाराम पुत्र स्व0 नारायण
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नवोडी की ढाणी, तन ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–130/108/2011
उनवान–नन्दलाल बनाम जगदीश
निर्णय दिनांक–27.01.2025

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–130/108/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा.......... (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर (ग्रामीण)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. [illegible]र	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner